न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 08/2020
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 05.06.2025 **निर्णय दिनांक :** 15.05.2025

उनवान

1. मूला पिता दामा जाति गुर्जर
2. भंवर पिता उंकार जाति गुर्जर
3. गोरधन पिता हरलाल जाति गुर्जर
4. डालू पिता मूला जाति गुर्जर
   सभी निवासीयान चावण्डखेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. जेठू पिता घीसा जाति गुर्जर
2. लोभु देवी पत्नी जेठू जाति गुर्जर
3. हीमा पिता जेठू जाति गुर्जर
   सभी निवासीयान चावण्डखेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– **अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार**
विपक्षीगण की ओर से :– **अधिवक्ता समुन्द्रसिंह चुण्डावत**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चावण्ड खेडा पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 22 पुराना 28 के आराजी नम्बर 183, 200, 201, 203, 205, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 449/48 कुल किता 12 रकबा 4.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 06 पुराना 11 के आराजी नम्बर 184, 185, 196, 197, 198, 207, 209, 222, 227, 230, 451/48 कुल किता 11 रकबा 3.8000 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 45 पुराना 45 के आराजी नम्बर 191 से 195, 202, 204, 208, 213 से 221, 231, 48 कुल किता 19 रकबा 4.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 21 पुराना 27 के आराजी नम्बर 190, 210 कुल किता 02 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कृषि भूमियां प्रार्थीगण के मूल पुरूष डुमा जी के समय की होकर उमा जी के फौत होने के पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन के

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नाम खाते दर्ज हैं जिसमें से प्रार्थी सं. 04 जिनके पिता का निधन हो चूका हैं, के खाते दर्ज हैं। मौके पर प्रार्थीगण सभी अपने अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और भूमि के चारो ओर हदबन्दी, बाड व दिवार आदि करीब 100 वर्ष पूर्व से हो रखी है, जिस पर सभी प्रार्थीगण काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से खेती बाडी करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के भूमियों के पास ही वर्तमान में विपक्षी सं. 01 की भूमियां स्थित हैं, विपक्षी सं. 02 व 03 प्रतिवादी सं. 01 की पत्नी व पुत्र हैं। उक्त प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 03 चूकि प्रार्थी गण की खातेदारी भूमियों के समीप उनकी भूमि होने से आये दिन प्रार्थी गण व उनके परिवारजन के साथ सीमा का विवाद करते चले आ रहे हैं जबकि प्रार्थी गण अपने स्वयं की भूमि पर काबिज होकर अपने बाप दादाओं के समय से बनी सीमाओं के भीतर अपनी खेतीबाडी कर रहे हैं किंतु प्रतिवादी जेठू शक्ति के बल पर सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहता हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से चल रहा हैं इस वजह से प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारों ओर क्षतिग्रस्त बाड़ दिवार इत्यादी की मरम्मत कर रहे हैं जिससे नाराज होकर प्रार्थीगण की भूमियों को हडपनें के उद्देश्य से विपक्षीगण ने प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के साथ में लडाई झगडा कर प्रार्थीगण की भूमियों के उपयोग उपभोग से वंचित करने पर आमादा हैं और थाने में झूठी शिकायते कर प्रार्थीगण व उनके परिवारजन को नाजायज हैरान व परेशान कर रहे हैं और आये दिन प्रार्थीगण के घर के बाहर व खेतों में लठ व कुल्हाडी आदि से हमला करने पर आमादा हैं। जिससे प्रार्थीगण व उनका पूरा परिवार डर व सहम गया है। सदमें में आ चूका हैं। प्रार्थीगण के परिवार में घीसी पत्नी दामा जी गुर्जर एंव नन्दु पत्नी रूपा जी गुर्जर जो काफी वृद्ध महिलाए हैं। उक्त दोनो महिलाओं को जेठू ने झूठे मुकदमों में फसाने की धमकिया दी जिससे वों सदमें के कारण काफी बीमार व मृत्यु के करीब पहुंच चूकी हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर काबिज है किन्तु विपक्षीगण अनाधिकार चेष्टा करते हुए शक्ति के बल पर प्रार्थीगण की भूमियों से प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग करने से वंचित करना चाह रहे हैं तथा प्रार्थीगण के खेतों की बाड दिवार का जो मरम्मत व निर्माण कार्य चल रहा हैं उसे नाहक ही परेशान कर रुकवाना चाहते हैं एवं इस हेतू बार बार अतिक्रमण करने पर आमादा हैं कानून का उन्हे कोई भय नहीं हैं और आये दिन प्रार्थीगण के एक की भूमि में अतिक्रमण करने की मशा रखते हैं ऐसी स्थिति में उन्हे उनके कृत्य से रूकवाया जाना न्यायोचित होकर नितान्त आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं क्योंकि प्रार्थी खातेदार कृषक है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के खातेदार होने से प्रार्थीगण कें पक्ष में हैं। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न हैं प्रार्थी ने विवादित कृषि भूमि को लाखों रूपये व्यय कर चार दिवारी बना कर कृषि योंग्य बना रखा हैं और यदि विपक्षीगण अनाधिकार चेष्टा कर धन, बल व शक्ति के बल पर हडपना चाहते हैं जिससे अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होनी हैं। जिसका अर्थ में आकलन नही हो सकेगा। तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मुल वाद इस

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमियां के किसी भाग में विपक्षीगण किसी प्रकार से प्रवेश नही करें, प्रार्थीगण के कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न नही करे, तोडफोड नही करे, किसी प्रकार का नुकसान कारित ना करे और न ही किसी प्रकार कि मदखलत बेजा दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट, मित्र, रिश्तेदार, कारीगर, मजदूर आदि से ही करावें और दौराने प्रार्थना पत्र यदि किसी प्रकार की मदाखलत बेजा कर दी जावें तो विपक्षीगण के खर्चे से पुनः पूर्ववत स्थिति कायम करायी जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की तरफ से अधिवक्ता समुन्द्रसिंह को जवाब पेश करने पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त भी जवाब पेश नही किया जिससे जवाब विपक्षी बन्द किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम चावण्ड खेडा पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 22 पुराना 28 के आराजी नम्बर 183, 200, 201, 203, 205, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 449/48 कुल किता 12 रकबा 4.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 06 पुराना 11 के आराजी नम्बर 184, 185, 196, 197, 198, 207, 209, 222, 227, 230, 451/48 कुल किता 11 रकबा 3.8000 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 45 पुराना 45 के आराजी नम्बर 191 से 195, 202, 204, 208, 213 से 221, 231, 48 कुल किता 19 रकबा 4.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 21 पुराना 27 के आराजी नम्बर 190, 210 कुल किता 02 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण प्रकरण संख्या 13/2020 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट जिला-राजसमन्द